भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/359

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.278/21.04.018/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 (1 जुलाई, 2026 तक अद्यतन)

विषय-सूची

अध्याय- I प्रारंभिक 3

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3

बी. प्रयोज्यता 3

अध्याय-II तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाता 6

ए. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते की तैयारी 6

बी. लेखांकन मानकों का पालन किया जाना चाहिए 6

सी. कुछ लेखांकन मानकों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन 6

डी. अन्य अनुदेश 10

अध्याय-III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 11

ए. सामान्य 11

बी. प्रस्तुतिकरण 11

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ 12

अध्याय- IV समेकित वित्तीय विवरण 56

अध्याय-V निरसन और अन्य प्रावधान 57

ए. निरसन और व्यावृत्ति 57

बी. अन्य कानूनों के आवेदन पर रोक नहीं है 57

सी. व्याख्याएं 57

अनुबंध I.. 59

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के साथ पठित 31ए और धारा 6 तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए और धारा 32 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों / कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और उचित है, इसलिए एतद्द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है।

अध्याय-I प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इसके बाद सामूहिक रूप और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित किया जाता है) पर सभी स्तरों (लेयर) के लिए लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए:

   (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी);

   (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी);

   (iii) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-फैक्टर;

   (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई);

   (v) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी);

   (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत अवसंरचना ऋण कोष (आईडीएफ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी;

(vii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनी (एचएफसी);

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी)।

4. अनुच्छेद 13 से 15 और अनुच्छेद 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (एसपीडी) पर लागू होंगे;

5. अनुच्छेद 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये निदेश, बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) पर, स्तरवार प्रयोज्यता के अनुसार लागू होंगे;

6. अनुच्छेद 13 से 15 और अनुच्छेद 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये निदेश, भारतीय रिज़र्व बैंकअधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी) पर स्तर-वार प्रयोज्यता के अधीन लागू होंगे।

7. अनुच्छेद 13 से 15 और अनुच्छेद 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये निदेश, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-खाता एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए) पर स्तर-वार प्रयोज्यता के अधीन लागू होंगे।

8. ये निदेश निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे:

(i) गैर-संचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफ़एचसी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत;

(ii) [1]['टाइप-I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक एनबीएफसी'];

(iii) 'बेस लेयर में मौजूद एनबीएफसी कंपनियां जिनका ग्राहकों से सीधा संपर्क है लेकिन वे सार्वजनिक निधि का लाभ नहीं उठा रही हैं'।

---

[1] दिनांक 29 अप्रैल 2026 कें भारतीय रिजज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियॉ – पंजीकरण, छूट एवमं पैंमाने-आधारित विनियमन ढांचा) संशोधन निदेश, 2026 द्वाराराा दिनांक 1 जुलाईं 2026 सें प्रभावी प्रतिस्थापित किया गया।

नोट: इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और पैमाने आधारित विनियमन के लिए ढांचा) दिशा-निर्देश, 2025 में निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियामक संरचना के अनुरूप है।

अध्याय-II तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाता

ए. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते की तैयारी

9. एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपनी तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तैयार करना होगा। जब भी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी तुलन-पत्र की तिथि बढ़ाना चाहे, तो उसे इस उद्देश्य से कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

स्पष्टीकरण - यदि भारतीय रिज़र्व बैंक और कंपनी रजिस्ट्रार समय सीमा बढ़ाने की अनुमति भी देते हैं, तब भी एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक को उस वर्ष के 31 मार्च को तैयार की गई प्रोफोर्मा तुलन-पत्र (अलेखापरीक्षित) और उस तिथि तक देय वैधानिक रिटर्न प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक एनबीएफसी को अपनी तुलन-पत्र संबंधित तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप देनी होगी।

बी. लेखांकन मानकों का पालन किया जाना चाहिए

10. कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ('इंड एएस') के नियम 4 के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करेंगी और इस मुख्य निदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में निर्दिष्ट नियामक मार्गदर्शन का अनुपालन करेंगी। अन्य एनबीएफसी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निदेश/दिशानिर्देश के साथ असंगत न होने की स्थिति में, समय-समय पर संशोधित कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी।

सी. कुछ लेखांकन मानकों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

11. भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करने के लिए बाध्य एनबीएफसी को निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए निदेशों का पालन करना होगा। ये निदेश आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान सहित विशिष्ट क्षेत्रों में लेखांकन मानकों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर केंद्रित हैं। ये निदेश और दिशानिर्देश एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन के विशिष्ट विवेकपूर्ण पहलुओं से संबंधित हैं और इनका उद्देश्य लेखांकन मानकों पर व्यापक टिप्पणी अथवा मानकों की व्यापक तकनीकी व्याख्या प्रदान करना नहीं है, न ही इनका उद्देश्य सभी संभावित स्थितियों को प्रदान करना है। तदनुसार, इन निदेशों में जिन मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में एनबीएफसी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)

द्वारा जारी अधिसूचित लेखांकन मानकों, अनुप्रयोग मार्गदर्शन, शैक्षिक सामग्री और अन्य स्पष्टीकरणों का संदर्भ लेना आवश्यक है।

12. किसी एनबीएफसी के वित्तीय विवरण तैयार करने और निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उसके निदेशक मंडल की होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इंड एएस के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन की अपेक्षा करता है, जिसके लिए विस्तृत विश्लेषण, विवेक का प्रयोग और निर्णयों के समर्थन में विस्तृत दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होगी।

1) अभीशासन ढाँचा

(i) वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और बाद में पुनर्वर्गीकरण पर प्रतिबंधों को निर्धारित करने में व्यावसायिक मॉडल की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए, एक एनबीएफसी) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां बनाने की सलाह दी जाती है जो उसके व्यावसायिक मॉडल और पोर्टफोलियो को स्पष्ट रूप से व्यक्त और दस्तावेजित करती हों। एनबीएफसी को प्रत्येक पोर्टफोलियो के प्रबंधन के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करना होगा।

(ii) एनबीएफसी को परिशोधित लागत व्यवसाय मॉडल पोर्टफोलियो से बिक्री के लिए अपनी नीति तैयार करनी होगी और उसे अपने वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट करना होगा।

(iii) रिज़र्व बैंक, निदेशक मंडल से अपेक्षित ऋण हानियों (ईसीएल) की गणना के लिए सुदृढ़ पद्धतियों को मंजूरी देने की अपेक्षा करता है, जो सभी ऋण जोखिमों पर ऋण जोखिम के आकलन और मापन के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को संबोधित करती हों, और जो एनबीएफसी के आकार, जटिलता और विशिष्ट जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुरूप हों। विचार किए गए मापदंडों और मान्यताओं के साथ-साथ ईसीएल आउटपुट के प्रति उनकी संवेदनशीलता को प्रलेखित किया जाना चाहिए। कोई भी एनबीएफसी लाभ को सुचारू बनाने के उद्देश्य से अपने ईसीएल मॉडल के मापदंडों, मान्यताओं और अन्य पहलुओं में परिवर्तन नहीं करेगा। ईसीएल मॉडल में किसी भी परिवर्तन का तर्क और औचित्य प्रलेखित किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसी प्रकार, मॉडल आउटपुट में किसी भी समायोजन (अर्थात, मैनेजमेंट ओवरले) का तर्क और आधार स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाएगा और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट– एनबीएफसी / एआरसी दिसंबर 2015 में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन (बीसीबीएस) द्वारा जारी 'क्रेडिट जोखिम और अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन' का संदर्भ ले सकता है, जो 11 सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से पहले आठ सिद्धांत पर्यवेक्षी मार्गदर्शन से संबंधित हैं और अन्य बातों के अलावा बोर्ड / वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियों, क्रेडिट जोखिम मापन के लिए उपयुक्त पद्धतियों को अपनाने, प्रकटीकरण आवश्यकताओं आदि को कवर करते हैं।

(iv) इंड एएस 109 चूक को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, लेकिन संस्थाओं को आंतरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा के अनुरूप चूक को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। यह अनुशंसा की जाती है कि लेखांकन उद्देश्यों के लिए अपनाई गई चूक की परिभाषा नियामक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा द्वारा निर्देशित हो। 90 दिनों से अधिक समय से बकाया खातों के वर्गीकरण का औचित्य, जिन्हें अपक्षयित नहीं माना जाता है, स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और एसीबी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे खातों की संख्या और कुल बकाया राशि और अतिदेय राशि का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाना चाहिए।

नोट - इंड एएस 109 के अनुच्छेद बी 5.5.37 में कहा गया है कि "...एक इकाई को संबंधित वित्तीय लिखत के लिए आंतरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा के अनुरूप चूक परिभाषा लागू करनी चाहिए और उपयुक्त होने पर गुणात्मक संकेतकों (उदाहरण के लिए, वित्तीय अनुबंध) पर विचार करना चाहिए। हालांकि, यह खंडनीय अनुमान है कि वित्तीय आस्ति के 90 दिन से अधिक समय तक देय न होने पर ही चूक होता है, जब तक कि इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और पुष्ट जानकारी न हो कि अधिक विलंबित चूक मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर समान रूप से लागू की जाएगी, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो यह प्रदर्शित करती हो कि किसी विशेष वित्तीय लिखत के लिए कोई अन्य चूक परिभाषा अधिक उपयुक्त है।"

(v) एनबीएफसी द्वारा ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का आकलन चाहे जिस भी तरीके से किया जाए, इंड एएस 109 के अंतर्गत यह खंडन योग्य अनुमान है कि संविदात्मक भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से बकाया होने पर वित्तीय आस्ति पर ऋण जोखिम प्रारंभिक

मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है। इंड एएस 109 यह भी अनुमति देता है कि एनबीएफसी इस अनुमान का खंडन कर सकती है यदि उसके पास उचित और पुख्ता जानकारी हो जो यह दर्शाती हो कि संविदात्मक भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से बकाया होने के बावजूद प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। एनबीएफसी को अपने ग्राहकों को समय पर भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हालांकि, सीमित परिस्थितियों में, जहां एनबीएफसी इस अनुमान का खंडन करती है, ऐसा केवल ऐसा करने के औचित्य के स्पष्ट दस्तावेजीकरण के साथ ही किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामले एसीबी के समक्ष रखे जाएंगे। एनबीएफसी 60 दिनों से अधिक समय से बकाया किसी भी ऋण के लिए ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की मान्यता को स्थगित नहीं करेगी।

2) ईसीएल के लिए विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा

(i) एनबीएफसी को इंड एएस के अनुसार क्षति-मूल्य समायोजन रखने होंगे। इसके साथ ही, एनबीएफसी को आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण बनाए रखना होगा और प्रावधानों की गणना करनी होगी, जिसमें उधारकर्ता/लाभार्थी-वार वर्गीकरण, मानक और पुनर्गठित आस्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए की आयु आदि शामिल हैं। आईआरएसीपी के अंतर्गत आवश्यक प्रावधानों और इंड एएस 109 के अंतर्गत किए गए क्षति-मूल्य समायोजन के बीच तुलना (नीचे अनुच्छेद 21 (15) में दिए गए टेम्पलेट के अनुसार) एनबीएफसी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में प्रकट की जाएगी, ताकि इसके बोर्ड, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षकों और अन्य हितधारकों को ऋण हानियों के लिए प्रावधान की पर्याप्तता पर एक बेंचमार्क प्रदान किया जा सके।

(ii) जहां इंड एएस 109 के अंतर्गत क्षति-मूल्य समायोजन, आईआरएसीपी (मानक आस्ति प्रावधान सहित) के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान से कम है, वहां एनबीएफसी कर पश्चात निवल लाभ अथवा हानि में से अंतर को एक अलग 'अपक्षय आरक्षित निधि' में विनियोजित करेगी। 'अपक्षय आरक्षित निधि' में शेष राशि को विनियामक पूंजी के रूप में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से कोई निकासी की अनुमति नहीं होगी।

(iii) आगे चलकर 'अपक्षय आरक्षित निधि' की आवश्यकता की समीक्षा की जा सकती है।

डी. अन्य अनुदेश

13. एक एनबीएफसी) को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों को अपनी तुलन-पत्र में अलग से प्रकट करना होगा, उन्हें आय से घटाए बिना अथवा आस्तियों के मूल्य के विरुद्ध समायोजित किए बिना।

14. एनबीएफसी द्वारा बनाए गए प्रावधानों को अलग-अलग लेखा शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

    (i) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; और

    (ii) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

15. एनबीएफसी द्वारा रखे गए सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि में से प्रावधान नहीं लिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के प्रावधान लाभ-हानि खाते में डेबिट किए जाएंगे। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि के अंतर्गत रखे गए प्रावधानों की अतिरिक्त राशि को बिना समायोजन किए वापस लिखा जा सकता है।

अध्याय-III वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

ए. सामान्य

16. एनबीएफसी) अपने वित्तीय विवरणों में इन दिशा-निर्देशों, लागू लेखांकन मानकों, कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रकटीकरण करेगी।

17. इस मास्टर निदेश में निर्दिष्ट प्रकटीकरण के प्रारूप सभी श्रेणियों के एनबीएफसी के लिए सामान्य टेम्पलेट हैं। कोई भी एकल एनबीएफसी उन मदों/प्रकटीकरणों को छोड़ सकती है जो लागू नहीं हैं/अनुमत नहीं हैं अथवा जिनका चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों में कोई जोखिम/लेनदेन नहीं है। इस मास्टर निदेश में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अन्य कानूनों, विनियमों अथवा लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं, न कि उनके स्थान पर। न्यूनतम आवश्यक प्रकटीकरणों से अधिक व्यापक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, विशेषकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हों।

18. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेनदेन अथवा मद का मात्र उल्लेख यह नहीं दर्शाता है कि वह अनुमत है, और एक एनबीएफसी को किसी गतिविधि अथवा लेनदेन की अनुमति अथवा अन्यथा निर्धारित करते समय मौजूदा वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का संदर्भ लेना चाहिए।

19. एनबीएफसी को वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सभी राशियों के लिए पिछली अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी प्रकट करनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक हो, तो एनबीएफसी को वर्णनात्मक और विस्तृत जानकारी के लिए भी तुलनात्मक जानकारी शामिल करनी होगी।

बी. प्रस्तुतिकरण

बी.1 तुलन-पत्र की अनुसूची

20. एनबीएफसी) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अपनी तुलन-पत्र में अनुसूची में दिए गए विवरण संलग्न करेगी, जैसा कि अनुबंध I में दिए गए प्रारूप के अनुसार है।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

सी.1 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं

21. एनबीएफसी वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी।

(1) सोने और चांदी की गिरवी के बदले ऋण

i) पात्र सोने और चांदी की गिरवी के बदले दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट का आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
1. **वित्त वर्ष का प्रारंभिक शेष** [(ए)+(बी)]					
(ए) उपभोग ऋण					
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण					
(बी) आय सृजन ऋण					
2. **वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए नए ऋण** [(सी)+(डी)]					लागू नहीं
(सी) उपभोग ऋण					लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण					लागू नहीं
(डी) आय सृजन ऋण					लागू नहीं
3. **वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए नवीनीकरण**					लागू नहीं
4. **वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए टॉप-अप ऋण**					लागू नहीं
5. **वित्त वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण** [(ई)+(एफ)]				लागू नहीं	लागू नहीं
(ई) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(एफ) आय सृजन ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
6. **वित्त वर्ष के दौरान वसूले गए अनर्जक ऋण** [(जी) + (एच)]				लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट का आकार (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋणों के % के रूप में			
(जी) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(एच) आय सृजन ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
7. **वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण** [(आई) + (जे)]				लागू नहीं	लागू नहीं
(आई) उपभोग ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
(जे) आय सृजन ऋण				लागू नहीं	लागू नहीं
8. **वित्त वर्ष के अंत में समापन शेष** [(के) + (एल)]					
(के) उपभोग ऋण					
जिनमें से बुलेट चुकौती ऋण					
(ले) आय सृजन ऋण					

नोट:

(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित रूप में, द्वारा निर्देशित होंगी।

(ii) सोने के बदले लिए गए ऋणों और चांदी के बदले लिए गए ऋणों के लिए जानकारी अलग-अलग प्रकट की जा सकती है।

(iii) औसत एलटीवी अनुपात की गणना ऋण स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी के योग और ऐसे ऋणों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है।

ii) **सोने और चांदी की गिरवी रखी गई संपत्तियों और उनकी नीलामी का विवरण**

क्र. सं.	विवरण	
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में बिना दावे वाला सोना अथवा चांदी का गिरवी रखा गया सामान (ग्राम में)	
(बी)	उन ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी आयोजित की गई थी	

क्र. सं.	विवरण		
(सी)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया राशि		
(डी)	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भुगतान में चूक के कारण अर्जित सोने अथवा चांदी की गिरवी राशि (ग्राम में)		
(ई)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए सोने अथवा चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)		
(एफ)	चालू वित्त वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई वसूली (₹ करोड़ में)		
(जी)	पुनर्प्राप्ति प्रतिशत:		
(एच)		सोने अथवा चांदी की गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में	
(जी)		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	

नोट:

(i) संपार्श्विक का भार और मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अनुसार गणना की जाएगी।

(ii) अदावी सोने अथवा चांदी की गिरवी का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अंतर्गत परिभाषित है।

(iii) एनबीएफसी को यह भी बताना होगा कि क्या उसकी किसी सहयोगी संस्था ने नीलामी में भाग लिया था।

(iv) एनबीएफसी को अपनी तुलन-पत्र में सोने के आभूषणों की गिरवी के बदले दिए गए ऋणों का अपनी कुल आस्तियों के प्रतिशत का प्रकटीकरण करना होगा।

(2) परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण

एनबीएफसीको परियोजना वित्त से संबंधित निम्नलिखित अनुसार उचित प्रकटीकरण करने होंगे:

क्र. सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि ₹ करोड़ में)
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते।		

क्र. सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि ₹ करोड़ में)
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं।		
3	उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन खातों में जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल किया गया है		
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं का विवरण। (1+2-3)		
5	'4' में से – वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।		
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की जा चुकी है।		
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।		
5.3	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।		
6	'5' में से, वे खाते जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।		
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि को वित्त पोषित किया गया था।		
7.1	उन '7' खातों में से, जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था।		
7.2	'7' खातों में से, जहाँ एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत नहीं किया गया था अथवा निरंतर नवीनीकृत नहीं किया गया था		
8	'4' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, जैसा भी मामला हो।		

क्र. सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (राशि ₹ करोड़ में)
8.1	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
8.2	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।		
8.3	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।		

नोट: यह प्रस्तुतिकरण 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली त्रैमासिक से आरंभ होगा। एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकटग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित होंगी।

(3) गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएं:

एनबीएफसी को एनएफबी क्रेडिट सुविधाओं का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में प्रकट करना होगा।

		31 मार्च 20XX तक	31 मार्च 20XX तक	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष
		सुरक्षित* भाग	असुरक्षित भाग	सुरक्षित* भाग	असुरक्षित भाग
I	बकाया गारंटी (₹ करोड़)				
	i) भारत में				
	ii) भारत के बाहर				
II	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व (₹ करोड़)				
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं (₹ करोड़)				
* सुरक्षित भाग को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।					

नोट: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनएफबी) ऋण सीमा के संबंध में, एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित होगा। ये निदेश 1 अप्रैल, 2026 से अथवा किसी एनबीएफसी द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित किसी पूर्व तिथि से लागू होंगे ("प्रभावी तिथि")। प्रभावी तिथि के बाद किसी

भी नई एनएफबी सुविधा का विस्तार और मौजूदा एनएफबी सुविधा का नवीनीकरण इन निदेशों के अनुसार होगा। प्रभावी तिथि तक विस्तारित/नवीनीकृत सभी मौजूदा एनएफबी सुविधाएं संबंधित बैंक पर लागू मौजूदा निदेशों द्वारा शासित होंगी।

(4) सह-ऋण व्यवस्थाओं पर प्रकटीकरण

(ए) मौजूदा नियमों के अंतर्गत लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त, एक एनबीएफसी को अपनी वेबसाइट पर सभी सक्रिय सीएलए भागीदारों की सूची भी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।

(बी) एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' के अंतर्गत, कुल मिलाकर किए गए अनुबंधों (सीएलए) से संबंधित आवश्यक विवरणों का उचित प्रकटीकरण करना होगा। इन विवरणों में, अन्य बातों के अलावा, सीएलए की राशि, भारित औसत ब्याज दर, लगाए गए/भुगतान किए गए शुल्क, वे व्यापक क्षेत्र जिनमें सीएलए किया गया था, सीएलए के अंतर्गत दिए गए ऋणों का प्रदर्शन सीएलए यदि कोई हो, तो चूक हानि गारंटी से संबंधित विवरण आदि शामिल हो सकते हैं। यह प्रकटीकरण त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

नोट: सीएल) के संबंध में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित होंगी। ये निदेश 1 जनवरी, 2026 से अथवा किसी भी पूर्व तिथि से, जैसा कि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार तय किया गया हो ("प्रभावी तिथि"), लागू होंगे। प्रभावी तिथि के बाद किए गए किसी भी नए सीएलए को इन निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) के बही-खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और तुलन-पत्र की तिथि तक धारक द्वारा न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए रखी गई कुल देनदारियों की राशि को प्रमाणित करना प्रवर्तकों का कर्तव्य है। ये आंकड़े एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने

चाहिए, जो धारक द्वारा एसपीई से प्राप्त की गई हो। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31 (वर्तमान वर्ष)	मार्च 31 (पिछले वर्ष)
1.	मूलकर्ता द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाएगी)		
2.	एसपीई की पुस्तकों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलन पत्र की तारीख के अनुसार एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि		
	ए) ऑफ़-बैलेंस शीट एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	बी) ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31 (वर्तमान वर्ष)	मार्च 31 (पिछले वर्ष)
	ए) ऑफ़-बैलेंस शीट एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	बी) ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ/हानि		
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।		
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से विवरण दें, जैसे कि ऋण संवर्धन, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के प्रतिशत का उल्लेख कोष्ठक में करें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ (सी) बकाया राशि		

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31 (वर्तमान वर्ष)	मार्च 31 (पिछले वर्ष)
8.	पिछले समय में पोर्टफोलियो की औसत चूक दर का विवरण दें। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग (जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि) के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें।		(पिछले 5 वर्षों की औसत चूक दर का उल्लेख किया जा सकता है)
9.	एक ही मूल आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋणों की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग (जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि) के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें।		
10.	निवेशकों की शिकायतें (a) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (b) शिकायतें बकाया		

नोट – एनबीएफसी को 'सरल, पारदर्शी और तुलनीय' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग-अलग तालिकाएँ प्रदान करनी होंगी।

(6) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

ऋणदाता को नीचे दिए गए निर्धारित अनुसार, अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित और उनसे प्राप्त किए गए, चूक न हुए ऋणों/संकटग्रस्त ऋणों की कुल राशि से संबंधित उचित प्रकटीकरण तिमाही आधार पर करने होंगे।:

(i) चूक न हुए ऋणों के अंतरण अथवा अधिग्रहण के संबंध में, प्रकटीकरण में भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत धारण अवधि, लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण, मूर्त प्रतिभूति कवरेज का दायरा और रेटिंग-वार रेटेड ऋणों का वितरण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का प्रकटीकरण करना चाहिए जहां उसने हस्तांतरित ऋणों को हस्तांतरित प्राप्तकर्ता(ओं) को बदलने अथवा किसी भी प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी से उत्पन्न क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रकटीकरण में असाइनमेंट/नोवेशन और ऋण भागीदारी के माध्यम से हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विस्तृत विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) हस्तांतरित अथवा अधिग्रहीत संकटग्रस्त ऋणों के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए।:

वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए संकटग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग विवरण दिया जाना चाहिए)			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए	अनुमत अंतरणकर्ताओं के लिए	अन्य स्थानांतरणकर्ताओं के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या:			
हस्तांतरित ऋणों की कुल बकाया मूल राशि			
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)			
समग्र विचार			
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल			

वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों का विवरण		
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में हैं)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, लघु वित्त बैंकों और आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है।	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों की कुल बकाया मूल राशि		
कुल भुगतान की गई राशि		
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		

अंतरणकर्ता को संकटग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ-हानि खाते में समायोजित की गई अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में उचित जानकारी भी देनी चाहिए। साथ ही, ऋणदाताओं को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण संबंधी ऋणों को दी गई विभिन्न वसूली रेटिंग श्रेणियों के अनुसार उनके पास मौजूद एसआर के वितरण का भी प्रकटीकरण करना चाहिए।

नोट: लेखा-परीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरणों में जानकारी देते समय, एनबीएफसी को तुलना में सुविधा के लिए चालू और पिछले वर्ष दोनों के आंकड़े अनिवार्य रूप से प्रदान करने चाहिए।

(7) अग्रिमों के पुनर्गठन पर प्रकटीकरण

(i) ₹500 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी के लिए एक एनबीएफसी को पुनर्गठित किए गए ऋणों की संख्या और राशि, तथा पुनर्गठित ऋणों के उचित मूल्य में हुई कमी से संबंधित जानकारी नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रकट करनी होगी। सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्गठन त्प्रणाली और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्गठित ऋणों के लिए यह जानकारी अलग-अलग आवश्यक होगी। एनबीएफसी को उन उधारकर्ताओं के सभी खातों/सुविधाओं में बकाया कुल राशि, जिनके खातों का पुनर्गठन किया गया है, और पुनर्गठित भाग अथवा सुविधा का विवरण देना होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी उधारकर्ता की केवल एक सुविधा/खाते का पुनर्गठन किया गया है, तब भी एनबीएफसी को उस उधारकर्ता की सभी सुविधाओं/खातों से संबंधित पूरी बकाया राशि का विवरण देना होगा। नीचे दिए गए प्रकटीकरण प्रारूप में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

i) पुनर्गठित खातों का विवरण संचयी आधार पर, मानक पुनर्गठित खातों को छोड़कर, जिन पर उच्च प्रावधान और जोखिम भार (यदि लागू हो) लागू नहीं होता है।;

ii) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्गठित खातों पर किए गए प्रावधान; और

iii) पुनर्गठित खातों के स्थानांतरण का विवरण।

इसका तात्पर्य यह है कि पुनर्गठित अग्रिमों (जिन्हें प्रारंभ से ही मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा एनपीए श्रेणी से अपग्रेड किया गया है) पर उच्च प्रावधान, निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन के कारण सामान्य स्तर पर वापस आ जाने पर, एनबीएफसी को अपने वार्षिक तुलन-पत्र में ''लेखा संबंधी टिप्पणियाँ'' में ऐसे अग्रिमों को पुनर्गठित खातों के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, ऐसे पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान एनबीएफसी द्वारा मौजूदा निदेशों के अनुसार बनाए रखा जाना जारी रहेगा।

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं..	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल
	विवरण																					
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल तक पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम, जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार लागू होना बंद हो जाता है, इसलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है।	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				

क्र. सं..	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण	विवरण	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संशयास्पद	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का अवमूल्यन	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक पुनर्गठित खाते (समापन आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उस पर प्रावधान																				

* मानक पुनर्गठित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्च प्रावधान अथवा जोखिम भार (यदि लागू हो) लागू नहीं होता है।

(ii) **संकल्प योजना और पुनर्गठन का विवरण**

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकटग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के अंतर्गत आने वाली 'संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण प्रणाली' के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरणों में कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित उचित प्रकटीकरण करने होंगे। संदर्भित परिपत्र के अनुसार, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण शेयरों का अधिग्रहण पूंजी बाजार जोखिम, पैराबैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह जोखिम पर नियामक सीमाओं/प्रतिबंधों से मुक्त होगा। हालांकि, एनबीएफसी को वार्षिक वित्तीय विवरणों के ''लेखा संबंधी टिप्पणियाँ'' में इसका प्रकटीकरण करना होगा।

(8) एक्सपोज़र

(i) **स्थावर सम्पदा क्षेत्र के लिए एक्सपोजर**

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर ए) आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित ऋण, जो उधारकर्ता द्वारा वर्तमान में अथवा भविष्य में उपयोग में लाई जा रही हो अथवा किराए पर दी गई हो। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट – वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) पर मॉर्टगेज द्वारा सुरक्षित ऋण। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। सी) मॉर्टगेज-बैक्ड सिक्योरिटीज (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश – i. आवासीय ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में फंड आधारित और गैर-फंड आधारित एक्सपोजर।		
रियल एस्टेट सेक्टर में पूर्ण एक्सपोजर		

(ii) **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका मूलधन विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है।		
ii)	शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले अथवा स्वच्छ आधार पर व्यक्तियों को शेयर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए दिए गए अग्रिम।		
iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए अग्रिम, जिनमें शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया हो।		
iv)	शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडोकी इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए अग्रिम, अर्थात् जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है।		
v)	स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटी		
vi)	नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए, संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में, शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले अथवा स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण।		
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/जारी किए जाने के बदले कंपनियों को दिए गए ब्रिज लोन		

विवरण		**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
viii)	शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गमन के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं।		
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकर को वित्तपोषण		
x)	वैकल्पिक निवेश कोष के सभी एक्सपोजर: 1. श्रेणी I 2. श्रेणी II 3. श्रेणी III		
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर			

नोट – एनबीएफसी उन मदों को छोड़ सकती है जो लागू नहीं हैं / अनुमत नहीं हैं अथवा जिनका चालू और पिछले वर्ष दोनों में शून्य एक्सपोजर है। इसके अलावा, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा शेयर के गिरवी रखने के कारण होने वाले एक्सपोजर को संबंधित मदों के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा।

(iii) **सेक्टोरल एक्सपोजर**

सेक्टर	**वर्तमान वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	कुल एक्सपोजर (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत
1. कृषि और संबन्धित गतिविधियां						
2. उद्योग						
i....						
ii....						
अन्य						
उद्योग की कुल राशि (i+ii+...+अन्य)						
3. सेवाएं						
i...						
ii...						

सेक्टर	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (₹ करोड़)	सकल एनपीए (₹ करोड़)	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत
अन्य						
सेवाओं की कुल राशि (i+ii+…+अन्य)						
4. व्यक्तिगत ऋण						
i…						
ii…						
अन्य						
व्यक्तिगत ऋणों की कुल राशि (i+ii+…+अन्य)						
5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)						

नोट -

i. कुल जोखिम में तुलन-पत्र पर और तुलन-पत्र से बाहर के जोखिम शामिल हैं।

ii. उपर्युक्त प्रकटीकरण एनबीएफसी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए और रिज़र्व बैंक द्वारा ' ऋण की क्षेत्रीय तैनाती' के रूप में प्रकाशित क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होंगे।

iii. उपरोक्त प्रकटीकरणों में, यदि किसी क्षेत्र के भीतर, किसी विशिष्ट उप-क्षेत्र/उद्योग में निवेश किसी एनबीएफसी की प्रथम श्रेणी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे उस क्षेत्र के भीतर अलग से प्रकट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी क्षेत्र के भीतर, किसी विशिष्ट उप-क्षेत्र/उद्योग में निवेश प्रथम श्रेणी पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है, तो ऐसे निवेशों को एक साथ मिलाकर उस क्षेत्र के भीतर "अन्य" के रूप में प्रकट किया जाएगा।

(iv) **इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर**

एनबीएफसी को चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे।:

i) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल मात्रा

ii) शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि

iii) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के लिए अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत

(v) **असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

एनबीएफस) को अपने असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का विवरण प्रकट करना होगा। इसके अलावा, उसे मुद्रा-प्रेरित जोखिम प्रबंधन के लिए अपनी नीतियों का भी प्रकटीकरण करना होगा।

(9) सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति (राशि ₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टी / मद	जनक (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)		सहायक कंपनियां		एसोसिएट्स/ संयुक्त उद्यम		अत्यंत मुख्य प्रबंधन कार्मिक @		प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार@		अन्य*		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
उधार#														
जमा#														
जमा का प्लेसमेंट जमा का स्थान#														
अग्रिम#														
निवेश#														
अचल/अन्य आस्तियों की खरीद														
अचल/अन्य आस्तियों की बिक्री														
ब्याज का भुगतान														

संबंधित पार्टी / मद	जनक (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)		सहायक कंपनियां		एसोसिएट्स/ संयुक्त उद्यम		अत्यंत मुख्य प्रबंधन कार्मिक @		प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार@		अन्य*		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्राप्त ब्याज														
अन्य*														

@ निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों से संबंधित प्रकटीकरण अन्य प्रमुख निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से अलग कॉलम में किए जाने चाहिए।

वर्ष के अंत में बकाया राशि और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है।

* यदि किसी मद का कुल योग संबंधित पक्ष लेनदेन के कुल योग के 5 प्रतिशत से अधिक है, तो उस मद का विशेष रूप से उल्लेख करें। संबंधित पक्षों में ट्रस्ट और अन्य निकाय शामिल होंगे जिन पर एनबीएफसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अपने संबंधित पक्षों के माध्यम से) नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

(i)उपर्युक्त प्रकटीकरण के संदर्भ में, संबंधित पक्ष में लागू लेखा मानकों के अनुसार सभी संबंधित पक्ष शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत परिभाषित निम्नलिखित संबंधित पक्ष भी शामिल होंगे।

i) एक निदेशक अथवा उसके रिश्तेदार;
ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके रिश्तेदार;
iii) ऐसी फर्म, जिसमें निदेशक, प्रबंधक अथवा उसका रिश्तेदार भागीदार हो;
iv) एक निजी कंपनी जिसमें एक निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा उसके रिश्तेदार एक सदस्य या निदेशक है;
v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें कोई निदेशक अथवा प्रबंधक निदेशक हो और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता हो।;
vi) कोई भी निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक किसी निदेशक अथवा प्रबंधक की सलाह, निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार कार्य करने का आदी हो;

vii) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेश अथवा आदेश पर कोई निदेशक अथवा प्रबंधक कार्य करने का आदी हो:

बशर्ते कि खंड (एफ) और (जी) में उल्लिखित कोई भी बात पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेशों अथवा अनुदेशों पर लागू नहीं होगी।;

(ii) कम से कम, प्रमुख प्रबंधन व्यक्तिगत (केएमपी) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी शामिल होंगे।

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक

(ii) कंपनी सचिव

(iii) पूर्णकालिक निदेशक

(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी

(v) ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं हैं जो पूर्णकालिक रोजगार में हैं, बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित; तथा

(vi) ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जाएं

(iii) केएमपी के रिश्तेदारों में कम से कम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 के अंतर्गत परिभाषित निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे।

(i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;

(ii) वे पति-पत्नी हैं; या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे से इस तरह से संबंधित है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

(iv) एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित तरीके से दूसरे से संबंधित है, अर्थात्:-

i) पिता; बशर्ते कि 'पिता" शब्द में सौतेले पिता शामिल हों।

ii) माँ: बशर्ते कि "माँ" शब्द में सौतेली माँ शामिल हो।

iii) पुत्र : बशर्ते कि "पुत्र" शब्द में सौतेला पुत्र भी शामिल

iv) पुत्र की वधू

v) बेटी

vi) बेटी का पति।

vii) भाई: बशर्ते कि "भाई" शब्द में सौतेला भाई शामिल हो;

viii) बहन: बशर्ते कि "बहन" शब्द में सौतेली बहन शामिल हो।

[2][(9ए) संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – क्रेडिट जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में परिभाषित संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोज़र का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अ. संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋण		
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत किए गए ऋणों का कुल मूल्य		
2	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य		
3	दिनांक 31 मार्च को कुल अस्तित्व (एक्सपोज़र) के अनुपात में संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य (प्रतिशत में)		
4	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों के पास बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जिनका वर्गीकरण निम्न के रूप में है:		
	(i) दिनांक 31 मार्च को विशेष उल्लेख खाते		
	(ii) दिनांक 31 मार्च को निष्पादनकारी अचल परिसंपत्तियाँ		
5	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में प्रावधानों की राशि		
	ब. संबंधित पक्षों से संबंधित अनुबंध एवं व्यवस्थाएँ		
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		
7	दिनांक 31 मार्च को संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य		

]

---

[2] दिनांक 5 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) – संशोधन निदेश, 2026 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से सम्निवेशित किया गया।

(10) शिकायतों का प्रकटीकरण

(i) ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से एनबीएफसी द्वारा प्राप्त शिकायतों पर सारांश जानकारी

क्रम संख्या		विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
	3.1	इनमें से एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	एनबीएफसी को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त शिकायतें			
5.*		एनबीएफसी को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से लोकपाल के कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.3	5 में से एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल के कार्यालय द्वारा निर्णय पारित होने के बाद कई शिकायतों का समाधान किया		
6.*		निर्धारित समय के भीतर लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णयों के अलावा)		

नोट: विचारणीय शिकायतों से तात्पर्य उन शिकायतों से है जो एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर आधारित हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

* यह केवल उन एनबीएफसी पर लागू होगा जो रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (यानी संबंधित शिकायतें)	**वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या**	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या**	**पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी**	**वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या**	**5 में से 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित शिकायतों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	वर्तमान वर्ष				
आधार – 1					
आधार – 2					
आधार – 3					
आधार – 4					
आधार – 5					
अन्य					
कुल					
	पिछला वर्ष				
आधार – 1					
आधार – 2					
आधार – 3					
आधार – 4					
आधार – 5					
अन्य					
कुल					

नीचे दी गई शिकायतों के आधारों की सूची केवल सांकेतिक है।

1. क्रेडिट कार्ड	2. खातों के संचालन में कठिनाई	3. गलत बिक्री	4. रिकवरी एजेंट/प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट
5. ऋण और अग्रिम	6. बिना किसी पूर्व सूचना के/अत्यधिक शुल्क/फौजदारी शुल्क के शुल्क लगाना	7. उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	8. कर्मचारियों का व्यवहार
9. कार्यालय में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।	10. अन्य		

निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण (₹ करोड़)		
	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
निदेशक और उनके रिश्तेदार		
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं		
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार		

(11) निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिये गए ऋण

राशि (₹ करोड़ में)		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार		
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं		
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार		

(12) मुद्रा फॉरवर्ड

सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा फॉरवर्ड बाजार में किए गए लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण तुलन-पत्र में किए जाएंगे।

(13) चलनिधि

इस उप-अनुच्छेद में निर्धारित आवश्यकताएं ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों और सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर लागू होती हैं।

एनबीएफसीको नीचे दी गई जानकारी को त्रैमासिक आधार पर आधिकारिक वेबसाइट पर और वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रकट करना होगा।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित वित्तपोषण संकेंद्रण

क्रम संख्या	**महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़)**	**कुलजमा का %**	**कुल देनदारियों का %**

(ii) शीर्ष 20 बड़ी जमाराशियाँ (राशि ₹ करोड़ में और कुल जमा का प्रतिशत)

(iii) शीर्ष 10 बड़े उधार (राशि करोड़ रुपये में और कुलउधार का प्रतिशत)

(iv) महत्वपूर्ण उपकरण/उत्पाद के आधार पर वित्त पोषण एकाग्रता

क्रम संख्या	**लिखत/ उत्पाद का नाम**	**राशि (₹ करोड़)**	**कुल देनदारियों का %**

(v) स्टॉक अनुपात

i) कुल सार्वजनिक धन, कुल देनदारियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र

ii) गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) कुल सार्वजनिक निधियों, कुल देनदारियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में

iii) अन्य अल्पकालिक देनदारियां, यदि कुल सार्वजनिक निधियों, कुल देनदारियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कोई हो।

iv) चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत सेट-अप

(14) ऋण चूक स्वैप

(i) किसी एनबीएफसी द्वारा किए गए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लेन-देन के संदर्भ में, वह अपने 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित विवरणों का प्रकटीकरण करेगा।

			(₹ करोड़)
1.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या		
2.	वर्ष के दौरान खरीदी गई प्रतिभूति की राशि		
3.	लेन-देन की संख्या जहां वर्ष के दौरान क्रेडिट घटना भुगतान प्राप्त हुआ था		
	ए)	वर्तमान वर्ष के लेन-देन से संबंधित	

	बी)	पिछले वर्ष के लेन-देन से संबंधित	
4.	31 मार्च को बकाया लेनदेन		
	ए)	लेन-देन की संख्या	
	बी)	प्रतिभूति की राशि	
5.	वर्ष-दर-वर्ष के दौरान सीडीएस लेनदेन के संबंध में निवल आय/लाभ (व्यय/हानि)		
	ए)	प्रीमियम का भुगतान किया गया	
	बी)	प्राप्त क्रेडिट घटना भुगतान (वितरण योग्य दायित्व के मूल्य का निवल)।	

(15) आईआरएसीपी के अंतर्गत आवश्यक प्रावधानों और इंड एएस 109 के अंतर्गत किए गए हानि भत्ते के बीच तुलना

इंड एएस को लागू करने के लिए एक एनबीएफसी आईआरएसीपी के अंतर्गत प्रावधान और इंड एएस 109 के अंतर्गत हानि भत्ते की तुलना में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे।

आरबीआई मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	हानि भत्ते (प्रावधान) जो कि इंड एएस 109 के अंतर्गत आवश्यक है	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान	इंड एएस 109 और आईआरएसीपी मानदंड के बीच प्रावधान अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादित आस्तियां						
मानक	चरण 1					
	चरण 2					
उप-योग						
अनर्जक आस्तियां (एनपीए)						
उपमानक	चरण 3					
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3					

1 से 3 वर्ष	चरण 3					
3 वर्ष से अधिक	चरण 3					
संदिग्ध के लिए उप कुल						
हानि	चरण 3					
एनपीए के लिए उप कुल						
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं	चरण 1					
	चरण 2					
	चरण 3					
उप-योग						
कुल	**चरण** 1					
	चरण 2					
	चरण 3					
	कुल					

सी.2 एनबीएफसी-मिडिल लेयर और अपर लेयर के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

2. एनबीएफसी वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' में निम्नलिखित प्रकटन करेगी।

(1) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' के साथ-साथ परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित लेखांकन नीतियों का एक ही स्थान पर प्रकटीकरण करना चाहिए। सुझावात्मक सूची में शामिल हैं - लेखांकन का आधार, विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन, निवेश - वर्गीकरण, मूल्यांकन आदि, अग्रिम और उन पर प्रावधान, अचल आस्तियां और मूल्यह्रास, राजस्व पहचान, कर्मचारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, निवल लाभ आदि।

(2) पूंजी

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(i) सीआरएआर (%)		
(ii) सीआरएआर – टियर- 1 पूंजी (%)		
(iii) सीआरएआर – टियर-2 पूंजी (%)		
(iv) टियर-2 पूंजी के रूप में जुटाए गए अधिनस्थ ऋण की राशि		
(v) स्थायी ऋण लिखत जारी करके जुटाई गई राशि		

स्थायी ऋण लिखत जारी करने वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित के बारे में उपयुक्त जानकारी देनी होगी।:

(i) वर्ष के दौरान पीडीआई के माध्यम से जुटाई गई धनराशि और वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया;

(ii) पीडीआई की राशि का प्रतिशत इसकी टियर 1 पूंजी की राशि;

(iii) उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख कीजिए जिसमें पीडीआई पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है

(3) निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के प्रावधान		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
2. निवेश पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव		
(i) प्रारंभिक शेष		
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii) कम: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना		
(iv) समापन शेष		

(4) व्युत्पान्नी (डेरीविटिव)

(i) **वायदा दर समझौता/ब्याज दर स्वैप**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(i) स्वैप करारों का काल्पनिक सिद्धांत		
(ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो होने वाले नुकसान।		

(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक		
(iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की एकाग्रता $		
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य @		
नोट: ऋण और बाजार जोखिम की जानकारी सहित स्वैप की प्रकृति और शर्तों और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।		
$ एकाग्रता के उदाहरणों में विशेष उद्योगों में एक्सपोजर अथवा अत्यधिक गियरिंग वाली कंपनियों के साथ स्वैप शामिल हो सकते हैं।		
@ यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों अथवा प्रतिबद्धताओं से जुड़े होते हैं, तो उचित मूल्य अनुमानित राशि होगी जो एनबीएफसी तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त करेगा अथवा भुगतान करेगा।		

(ii) **एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	कुल धनराशि
(i) वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड आईआर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि (लिखत वार)	
(ए)	
(बी)	
(सी)	
(ii) 31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड आईआर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि .... (लिखत वार)	
(ए)	
(बी)	
(सी)	
(iii) एक्सचेंज ट्रेडेड आईआर डेरिवेटिव की बकाया कल्पित मूल राशि और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	
(ए)	
(बी)	
(सी)	
(iv) एक्सचेंज ट्रेडेड आईआर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट बकाया मूल्य और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	
(ए)	

विवरण	कुल धनराशि
(बी)	
(सी)	

(iii) **डेरिवेटिव में एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का वर्णन विशेष रूप से इस संदर्भ में करेगा कि किस हद तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। चर्चा में यह भी शामिल होगा:

ए) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

बी) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति,

सी) हेजिंग /मिटिगेंट्स की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हेजिंग और/या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और रणनीतियां और प्रक्रियाएं, और

डी) हेज और गैर-हेज लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)		
	हेजिंग के लिए		
(ii)	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित		
	(ए) आस्ति (+)		
	(बी) देयता (-)		
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर		
(iv)	असुरक्षित एक्सपोजर		

(5) आस्ति देयता प्रबंधन (आस्तियों और देनदारियों की कुछ वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न)

	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	एक महीने से अधिक 2 तक माह	2 महीने से अधिक upto 3 माह	3 महीने से अधिक और 6 महीने तकs	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा											
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											
विदेशी मुद्रा देनदारियां											

(6) एक्सपोजर

(i) **मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण**

(ii) **एनबीएफसी द्वारा पार किया गया एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण**

एनबीएफसी को उन जोखिमों के संबंध में उचित प्रकटीकरण करना होगा जिनमें उसने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा का उल्लंघन किया हो। जोखिम सीमा की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित क्रेडिट/निवेश एकाग्रता मानदंडों/बड़े जोखिम ढांचे के अनुसार की जाएगी, जैसा भी लागू हो।

नोट – जोखिम सीमा की गणना के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - एकाग्रता जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 का संदर्भ लेना चाहिए।

(iii) **असुरक्षित अग्रिम**

i) असुरक्षित अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए, किसी एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखे गए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि को मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं माना जाएगा। अतः, ऐसे अग्रिमों को असुरक्षित माना जाएगा।

ii) एनबीएफसी को उन सभी अग्रिम ऋणों की कुल राशि का भी प्रकटीकरण करना होगा जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं, साथ ही

ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी बताना होगा। यह प्रकटीकरण खातों के नोट्स में एक अलग शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा। इससे ऐसे ऋणों को अन्य पूरी तरह से असुरक्षित ऋणों से अलग किया जा सकेगा।

(7) कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (अनुसूची V का अनुच्छेद सी - वार्षिक रिपोर्ट), समय-समय पर संशोधित, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुभाग में किए जाने वाले प्रकटीकरणों को निर्दिष्ट करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के संबंध में, गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण प्रकटीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी को न्यूनतम रूप से वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना चाहिए।

(i) **बोर्ड की संरचना**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	कब से निदेशक है	क्षमता (यानी, कार्यकारी / गैर-कार्यकारी / अध्यक्ष / प्रमोटर नामांकित / स्वतंत्र)	डी आई एन	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य निदेशकों की संख्या	मेहनताना			एनबीएफसी में धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या
					धारित	उप स्थित		वेतन और अन्य मुआवजा	बैठक शुल्क	कमीशन	

(ii) **चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का विवरण**।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	क्षमता (कार्यकारी / गैर-कार्यकारी / अध्यक्ष / प्रमोटर नामांकित / स्वतंत्र)	परिवर्तन की प्रकृति (इस्तीफा, नियुक्ति)	प्रभावी तिथि

यदि कोई स्वतंत्र निदेशक अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देता है, तो उसके द्वारा दिए गए इस्तीफे के कारणों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

निदेशकों के बीच किसी भी प्रकार के आपसी संबंध का विवरण प्रकट किया जाएगा।

(iii) **बोर्ड की समितियां और उनकी संरचना**

i) बोर्ड की समितियों के नामों का उल्लेख करें।

ii) प्रत्येक समिति के लिए, संदर्भ की संक्षिप्त शर्तों का उल्लेख करें और निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	कब से समिति के सदस्य हैं	क्षमता (कार्यकारी / गैर-कार्यकारी / अध्यक्ष / प्रमोटर नामांकित / स्वतंत्र)	समिति की बैठकों की संख्या		एनबीएफसी में रखे गए शेयरों की संख्या
				धारित	उपस्थित	
1.			अध्यक्ष			
2.						

(iv) **आम निकाय की बैठकें**

आम निकाय की बैठकों में पारित तिथि, स्थान और विशेष प्रस्तावों का विवरण दें।

क्र. सं.	बैठक का प्रकार (वार्षिक/अतिरिक्त-साधारण)	दिनांक और स्थान	विशेष प्रस्ताव पारित किए गए

(v) **कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का विवरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में किसी भी चूक का विवरण और कारण, जिसमें लेखांकन और सचिवीय मानकों के अनुपालन से संबंधित चूक भी शामिल है, का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(vi) **दंड और सख्ती का विवरण**

एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा उस पर लगाए गए दंड का विवरण सार्वजनिक रूप से और 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' में प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्टों अथवा अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर दिए गए निदेशों को भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना होगा।

(vii) **प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट**

निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में अथवा उसके अतिरिक्त, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट शेयरधारकों को दी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी। इस प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निम्नलिखित मामलों पर चर्चा शामिल होगी।:

ए) उद्योग संरचना और विकास

बी) अवसर और खतरे

सी) सेगमेंट-वार अथवा उत्पाद-वार प्रदर्शन

डी) दृष्टिकोण

ई) जोखिम और चिंताएं

एफ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

जी) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा।

एच) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर भौतिक विकास, जिसमें नियोजित लोगों की संख्या शामिल है।

(8) अनुबंध का उल्लंघन

एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण अथवा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के अनुबंध के उल्लंघन के सभी मामलों का प्रकटीकरण करना होगा।

(9) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

यदि निम्नलिखित में से कोई एक अथवा दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एनबीएफसी को नीचे दी गई तालिका के अनुसार भिन्नता का विवरण प्रकट करना होगा।:

ए) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं संदर्भ अवधि के लिए वित्तीय लिखतों पर कर और हानि से पहले रिपोर्ट किए गए मुनाफे के पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती हैं, अथवा

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाना गया अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए के पांच प्रतिशत से अधिक है।

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	31 मार्च, 20XX* तक सकल एनपीए जैसा कि एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किया गया है	
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा मूल्यांकन किए गए 31 मार्च, 20XX तक सकल एनपीए	
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	
4.	31 मार्च, 20XX तक निवल एनपीए जैसा कि एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किया गया है	
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा 31 मार्च, 20 XX तक निवल एनपीए का आकलन किया गया	
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	
7.	एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट किए गए 31 मार्च, 20XX तक एनपीए के लिए प्रावधान	
8.	भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी द्वारा 31 मार्च, 20 तारीख तक एनपीए के लिए प्रावधान	
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	
10.	31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय लिखतों पर कर और हानि हानि से पहले लाभ की सूचना दी गई	
11.	31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ (PAT) की रिपोर्ट की गई	
12.	31 मार्च, 20XX को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (PAT) प्रावधान में विचलन पर विचार करने के बाद	

* 31 मार्च, 20XX उस संदर्भ अवधि का समापन है जिसके संबंध में विचलन का आकलन किया गया था

(10) अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से पंजीकरण

एनबीएफसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का प्रकटीकरण करेगा, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए।

(11) संचालन का क्षेत्र

संयुक्त उद्यमों और विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में क्षेत्र, प्रचालन का देश और संयुक्त उद्यम भागीदारों नामक सूचना का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

(12) रेटिंग का प्रकटीकरण

एनबीएफसी वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उसे सौंपी गई रेटिंग और अपनी रेटिंग के माइग्रेशन का प्रकटीकरण करेगा।

(13) निदेशकों का पारिश्रमिक

एनबीएफसी कंपनी के साथ गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंधों अथवा लेनदेन का प्रकटीकरण करेगा।

(14) अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की वस्तुओं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि लाभ और हानि खाते के प्रारूप में पिछले अवधि के मदों के चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रकटीकरण के लिए विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए जहां भी आवश्यक हो, ऐसे प्रकटीकरण एनबीएफसी द्वारा किए जाएंगे।

(15) राजस्व मान्यता

एनबीएफसी उन परिस्थितियों का प्रकटीकरण करेगा जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के समाधान तक राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया गया है।

(16) प्रावधान और आकस्मिकताएं

एनबीएफसी निम्नलिखित प्रारूप में प्रावधानों और आकस्मिकताओं के विवरण का प्रकटीकरण करेगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण'	**वर्तमान** वर्ष	**पिछला** वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान		
एनपीए के प्रति प्रावधान		
आयकर के लिए किया गया प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण'	**वर्तमान** वर्ष	**पिछला** वर्ष
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		

(17) आरक्षित निधि से निकासी

एनबीएफसी आरक्षित निधि की किसी भी निकासी के संबंध में उपयुक्त प्रकटन करेगा।

(18) निषेप, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण

(i) **निषेप का संकेंद्रण (जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी)**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा	
जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी की कुल जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	

(ii) **अग्रिम का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिया गया कुल अग्रिम	
एनबीएफसी के कुल ऋण में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण का प्रतिशत	

(iii) **एक्सपोजरों का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए एक्सपोजर का प्रतिशत	

(iv) **एनपीए का संकेंद्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	
चार सबसे बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	

(19) एनपीए का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (%)			
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)			
	(ए)	प्रारंभिक शेष		
	(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
	(दी)	समापन शेष		
(iii)	निवल एनपीए का संचलन			
	(ए)	प्रारंभिक शेष		
	(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	(सी)	वर्ष के दौरान कटौती		
	(दी)	समापन शेष		
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(ए)	प्रारंभिक शेष		
	(बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
	(सी)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / से निकालना		
	(डी)	समापन शेष		

(20) विदेशी आस्तियां (विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल आस्ति

(21) ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित

(जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**विदेशी**

(22) ऑएफ़-बैलेंस शीट एक्सपोजर और संरचित उत्पाद

एक एनबीएफसी सभी ऑएफ़-बैलेंस शीट एक्सपोजर और उसके द्वारा जारी किए गए संरचित उत्पादों का विवरण प्रदान करेगा।

(23) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर प्रकटीकरण

इस अनुच्छेद के प्रावधान ₹5000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी, कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) और एसपीडी पर लागू नहीं होंगे।

एक एनबीएफसी निम्नलिखित एलसीआर प्रकटीकरण मानकों का पालन करेगा:

(i) एक एनबीएफसी नीचे दिए गए टेम्पलेट में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की सभी चार तिमाहियों (चाहे लेखा परीक्षित हो अथवा अन्यथा) को कवर करने वाले अपने एलसीआर पर जानकारी का प्रकटीकरण करेगा।

(ii) डेटा को पिछली तिमाही में दैनिक टिप्पणियों के सरल औसत के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यानी, औसत की गणना 90 दिनों की अवधि में की जाती है)।

(iii) नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, एनबीएफसी को एलसीआर के संबंध में पर्याप्त गुणात्मक चर्चा (अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' के अंतर्गत) प्रदान करनी होगी ताकि परिणामों और दिए गए आंकड़ों को समझना आसान हो सके। उदाहरण के लिए, जहां एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण हो, एनबीएफसी निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर सकती है:

(ए) इसके एलसीआर परिणामों के मुख्य चालक और समय के साथ एलसीआर की गणना में इनपुट के योगदान का विकास;

(बी) इंट्रा-पीरियड परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन भी;

(सी) उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) की संरचना;

(डी) फंडिंग स्रोतों का संकेंद्रण;

(ई) डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल;

(एफ) एलसीआर में मुद्रा बेमेल;

(जी) एलसीआर गणना में अन्य प्रवाह और बहिर्वाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में कैप्चर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिन्हें संस्थान अपनी चलनिधि प्रोफ़ाइल के लिए प्रासंगिक मानता है।

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट			
(₹ करोड़ में)		**कुल भारित* मान (औसत)**	**कुल भारित$ मान (औसत)**
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति			
1	#कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए)		
नकदी बहिर्वाह			
2	जमा (जमाराशि लेने वाली कंपनियों के लिए)		
3	असुरक्षित थोक फंडिंग		
4	सुरक्षित थोक वित्त फंडिंग		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से		
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह		
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्त पोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह		
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं		
6	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व		
7	अन्य आकस्मिक वित्त पोषण दायित्व		
8	**कुल नकदी बहिर्वाह**		
नकदी अंतरप्रवाह			
9	सुरक्षित उधार		
10	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतरप्रवाह		
11	अन्य नकदी प्रवाह		

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट			
(₹ करोड़ में)		**कुल भारित* मान (औसत)**	**कुल भारित$ मान (औसत)**
12	**कुल नकदी अंतरप्रवाह**		
			कुल समायोजित मूल्य
13	**कुल एचक्यूएलए**		
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह निवल नकदी बहिर्वाह**		
15	**एलसीआर (%)**		

*भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने अथवा कॉल करने योग्य बकाया राशि के रूप में की जानी चाहिए (प्रवाह और बहिर्वाह के लिए).

$भारित मूल्यों की गणना संबंधित बाल कटाने (एचक्यूएलए के लिए) और अंतर्वाह और बहिर्वाह पर तनाव कारकों के आवेदन के बाद की जानी चाहिए।

एचक्यूएलए के घटकों का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

नोट: एनबीएफसी को एलसीआर सहित आस्ति देयता प्रबंधन पर संबंधित दिशानिर्देशों के लिए समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(24) मुद्रा विकल्प

सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नामित मुद्रा विकल्प एक्सचेंजों में किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन-पत्र में प्रकटीकरण किया जाएगा।

सी.3 एनबीएफसी - अपर लेयर (यूएल) के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

23. एक गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी-यूएल को एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचाने जाने के तीन वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध होना होगा। तदनुसार, एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचाने जाने पर, एक गैर-सूचीबद्ध एनबीएफसी-यूएल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनी

की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक रोडमैप तैयार करना होगा।

[3][बशर्ते कि ये प्रावधान उन एनबीएफसी-यूएल पर लागू नहीं होंगे जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।]

[3] इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) दूसरे संशोधन निदेश, 2026 दिनांक 24 जून, 2026 के तहत शामिल किया गया है।

अध्याय-IV समेकित वित्तीय विवरण

24. एनबीएफसी समय-समय पर आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों का पालन करेगी। समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी को सभी सहायक कंपनियों - घरेलू और विदेशी दोनों - के वित्तीय विवरणों को समेकित करना होगा। किसी सहायक कंपनी को समेकित न करने के कारणों का प्रकटीकरण सीएफएस में किया जाएगा। किसी विशेष इकाई को समेकन में शामिल किया जाए अथवा नहीं, यह निर्धारित करने का दायित्व मूल इकाई के प्रबंधन का होगा। यदि उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों को लगता है कि किसी ऐसी इकाई को समेकित नहीं किया गया है जिसे शामिल किया जाना चाहिए था, तो वे इस संबंध में अपनी टिप्पणियां "लेखा परीक्षक रिपोर्ट" में शामिल करेंगे।

अध्याय-V निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

25. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और प्रकटीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।
26. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली मानी गई कोई भी कार्रवाई, अथवा आरंभ की गई कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दी गई सभी स्वीकृतियाँ अथवा अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशा-निर्देशों के निरसन का किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।:

    ए. उसके अंतर्गत प्राप्त, अर्जित अथवा खर्च किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता;

    बी. इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा;

    सी. उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, दंड, ज़ब्ती अथवा सज़ा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है अथवा लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, ज़ब्ती अथवा सज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो वे निदेश, आदेश अथवा दिशानिर्देश निरस्त नहीं किए गए हों।

बी. अन्य कानूनों के आवेदन पर रोक नहीं है

27. इन निदेशों के प्रावधान, उस समय लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम अथवा निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका उल्लंघन करने वाले।

सी. व्याख्याएं

28. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अथवा इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन अथवा व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है

और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

तुलन-पत्र के लिए अनुसूची

				(₹ करोड़ में)
विवरण				
देनदारियों			**बकाया राशि**	**कुल धनराशि अतिदेय**
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, जिनमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन जिनका भुगतान नहीं किया गया है:**			
	(ए)	डिबेंचर: सुरक्षित		
		: असुरक्षित		
		(सार्वजनिक जमा के अर्थ के भीतर आने के अलावा *)		
	(बी)	आस्थगित क्रेडिट		
	(सी)	सावधि ऋण		
	(डी)	अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और उधार		
	(ई)	वाणिज्यिक पत्र		
	(एफ)	सार्वजनिक जमा*		
	(जी)	अन्य ऋण (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
	* कृपया नीचे नोट 1 देखें			
(2)	**उपरोक्त (1)(एफ) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा राशि जिसमें अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन जिसका भुगतान नहीं किया गया है):**			
	(ए)	असुरक्षित डिबेंचर के रूप में		
	(बी)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, अर्थात् ऐसे डिबेंचर जिनमें प्रतिभूति के मूल्य में कमी होती है।		
	(सी)	अन्य सार्वजनिक जमा		
	* कृपया नीचे नोट 1 देखें			

आस्ति				बकाया राशि
(3)	**ऋणों और अग्रिमों का विवरण, जिसमें प्राप्य बिल भी शामिल हैं [नीचे (4) में शामिल के अलावा]:**			
	(ए)	सुरक्षित		
	(बी)	असुरक्षित		
(4)	**लीज़ पर दी गई आस्तियों, किराए पर रखे गए स्टॉक और आस्ति वित्तपोषण गतिविधियों में शामिल अन्य संपत्तियों का विवरण**			
	(i)	विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की आस्ति:		
		(ए)	वित्तीय लीज़	
		(बी)	ऑपरेटिंग लीज़	
	(ii)	विविध देनदारों के अंतर्गत किराए के शुल्क सहित किराए पर स्टॉक:		
		(ए)	किराए पर आस्ति	
		(बी)	पुनर्प्राप्त आस्ति	
	(iii)	आस्ति वित्तपोषण गतिविधियों की ओर गिने जाने वाले अन्य ऋण		
		(ए)	ऐसे ऋण जहां आस्तियों को वापस ले लिया गया हो	
		(बी)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य ऋण	
(5)	**निवेश का विवरण**			
	<u>चालू निवेश</u>			
	1.	<u>उद्धृत</u>		
		(i)	शेयर	
			(ए) इक्विटी	
			(बी) प्राथमिकता	
		(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड	
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	

		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	2.	गैर-उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(ए) इक्विटी	
			(बी) प्राथमिकता	
		(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड	
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	दीर्घकालिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(ए) इक्विटी	
			(बी) प्राथमिकता	
		(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड	
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	2.	गैर-उद्धृत		
		(i)	शेयर	
			(ए) इक्विटी	
			(बी) प्राथमिकता	
		(ii)	डिबेंचर और बॉन्ड	
		(iii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	
		(v)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
(6)	**ऊपर (3) और (4) में वर्णित अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण:** कृपया नीचे नोट 2 देखें			

	श्रेणी			प्रावधानों की निवल राशि		
				सुरक्षित	असुरक्षित	कुल
	1.	**संबंधित पार्टियां ****				
		(ए)	सहायक कंपनियां			
		(बी)	एक ही समूह की कंपनियां			
		(सी)	अन्य संबंधित पक्ष			
	2.	संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य				
	कुल					

(7)	**शेयर और प्रतिभूतियों (सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों) में किए गए सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:** कृपया नीचे नोट 3 देखें				
	श्रेणी			**मार्केट वैल्यू/ब्रेक अप अथवा फेयर वैल्यू अथवा एनएवी**	**पुस्तक मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1.	संबंधित पार्टियां **			
		(ए)	सहायक कंपनियां		
		(बी)	एक ही समूह की कंपनियां		
		(सी)	अन्य संबंधित पक्ष		
	2.	संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य			
	कुल				
	** आईसीएआई के लेखा मानकों के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)				
(8)	**अन्य जानकारी**				
	विवरण			**राशि**	
	(i)	सकल अनर्जक आस्तियां			
		(ए)	संबंधित पार्टियां		
		(बी)	संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य		
	(ii)	निवल अनर्जक आस्तियां			

		(सी)	संबंधित पार्टियां	
		(डी)	संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य	
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अर्जित आस्तियां		
नोट:				
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सार्वजनिक जमाराशि की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित अनुसार।			
2.	इन निदेशों में निर्धारित प्रावधान संबंधी मानदंड लागू होंगे।			
3.	आईसीएआई द्वारा जारी सभी अधिसूचित लेखांकन मानक और मार्गदर्शन नोट निवेश और अन्य आस्तियों के मूल्यांकन के साथ-साथ ऋण की पूर्ति के लिए अधिग्रहित आस्तियों के मूल्यांकन पर भी लागू होते हैं। हालांकि, सूचीबद्ध निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य और गैर-सूचीबद्ध निवेशों के संबंध में विवरण/उचित मूल्य/एनएवी का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए, चाहे उन्हें उपरोक्त (5) में दीर्घकालिक ((iv)इंड एएस के मामले में परिशोधित लागत) अथवा चालू ((iv) इंड एएस के मामले में उचित मूल्य) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।			